संख्या-95/2018/1251/41-2018-24 (बजट)/2017

प्रेषक,

बच्चू लाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 30 मार्च, 2018

विषय- **जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्टस काम्प्लेक्स एवं झील मनोरंजन की परियोजना एवं उसमें प्रयुक्त विशिष्ट प्रकृति के कार्य एवं उच्च विशिष्टियों के सम्बन्ध में**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7187/6-1-1(845)/2018, दिनांक 09.02.2018 एवं पत्र सं0-8389/6-1-1(845)/2018, दिनांक 22.03.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्टस काम्प्लेक्स एवं झील मनोरंजन की परियोजना के कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम लि0 द्वारा गठित आगणन पर 'व्यय वित्त समिति' प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा संस्तुत की गयी लागत रू0 40,12,00,000.00 (रूपये चालीस करोड़ बारह लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 25,00,00,000.00 (रूपये पचीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/ 1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) प्रायोजना में मिट्टी भराई के कार्य के सम्बन्ध में सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) प्रायोजना में प्रस्तावित विशिष्ट प्रकृति के कार्य तथा प्रायोजना के ड्राइंग, डिजाइन, तकनीक, मानक एवं विशिष्टियों के सम्बन्ध में वहां की स्थलीय परिस्थितियों के अनुरूप तथा विभिन्न वैधानिक एवं पर्यावरणीय पहलुओं का परीक्षण इस सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा कर लिया जायेगा तथा समिति की संस्तुति के अनुरूप ही नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

(5) प्रस्तावित परियोजा में प्रस्तावित एकमुश्त/कोटेशन के आधार पर उल्लिखित इंडिकेटिव दरों पर क्रय की कार्यवाही किये जाने के पूर्व प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करते हुए आवश्यक क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर ही क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा। प्रायोजना में प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट उपकरणों एवं सामग्रियों आदि की आवश्यकता, औचित्य, स्पेसिफिकेशन एवं लागत के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, पर्यटन की अध्यक्षता में गठित समिति इसका परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट हो लेगी तथा इन कार्यों हेतु पी0एफ0ए0डी0 की संस्तुत लागत की सीमा के अन्तर्गत जो न्यूनतम लागत संस्तुत करेगी, उस सीमा तक परियोजना की लागत संशोधित समझी जायेगी एवं प्रायोजना के इन कार्य मदों का क्रय एवं स्थापना समिति द्वारा संस्तुत स्पेसिफिकेशन एवं लागत के आधार पर क्रय उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संगत नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे। कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की गुणवत्ता पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जायेगी, जिसका पर्यवेक्षण महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनश्चित कराया जायेगा। प्रस्तर-2 मे स्वीकृत प्रशासकीय धनराशि उन्ही शर्ता के अधीन रहेगी, जिसका विस्तृत विवरण व्यय वित्त समितिकी बैठक दिनांक 17.03.2018 के कार्यवृत्त में उल्लिखित किया गया है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी। परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रायोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण कार्य में पर्यावरणीय मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(12) कार्यदायी संस्था को प्रश्नगत कार्य के आगणन में उल्लिखित वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत नियमानुसार देय होगी तथा इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्तिच कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय।

3- उक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परिव्यय-80- सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-34-गोरखपुर स्थित रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्टस का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-319/दस-2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(बच्चू लाल)
उप सचिव

संख्या-95/2018/1251(1)/41-2018-24 (बजट)/2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग/पर्यावरण विभाग/नगर विकास विभाग/संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, गोरखपुर।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
7. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
10- क्षेत्रीय प्रर्यटक अधिकारी, गोरखपुर।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(बच्चू लाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।